झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ
2. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 के संबंध में।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022

(सभा द्वारा यथापारित)

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 (यथा संशोधित) में संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के 73वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल (सभा) द्वारा यह निम्नलिखित रुप में अधिनियमित हो:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।**

(1) यह अधिनियम "झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022" कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह अधिनियम भारत का संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित होने के उपरान्त प्रभावी होगा।

2. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 (यथा संशोधित) की धारा 4(1) एवं 4(2) के प्रावधान को निम्न् प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

4(1) किसी स्थापना में सेवाओं और पदों की सभी नियुक्तियाँ, जो सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाने वाली हो, निम्नलिखित रूप से विनियमित की जाएगी, यथा–

(क)	खुली गुणागुण (मेरिट) कोटि से	–	23 प्रतिशत
(ख)	आरक्षित कोटि से	–	77 प्रतिशत

4(2) आरक्षित कोटि की 77 प्रतिशत में से विभिन्न कोटियों हेतु कोटिवार आरक्षण निम्न रूपेण अनुमान्य होंगी :–

(क)	अनुसूचित जाति	–	12 प्रतिशत
(ख)	अनुसूचित जनजाति	–	28 प्रतिशत
(ग)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)	–	15 प्रतिशत
(घ)	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2)	–	12 प्रतिशत
(ङ)	आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (उपर्युक्त कंडिका (क), (ख), (ग) एवं (घ) में अंकित वर्गों को छोड़कर)–		10 प्रतिशत
	कुल		**77 प्रतिशत**

यह विधेयक झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 दिनांक 11 नवम्बर, 2022 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 11 नवम्बर, 2022 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(रबीन्द्र नाथ महतो)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 27--50--17-11-2022